अनुदान संख्या 16 – खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
GRANT No. 16 - DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged-*				
पूरक	*Supplementary*		*2,00*	*1,12*	*-88*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*87*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	150952, 64,00	154491,75,00	106287,02,62	- 48204,72,38
पूरक	Supplementary	3539,11,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				48203,36,84
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	50523,05,00	50523,08,00	50499,56,27	-23,51,73
पूरक	Supplementary	3,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				23,41,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹4820472.38 लाख) जुलाई, 2017, दिसंबर, 2017 और मार्च, 2018 में प्राप्त किए गए ₹353911.00 लाख के पूरक अनुदानों से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 31 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹4820472.38 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹353911.00 lakhs obtained in July, 2017, December, 2017 and March, 2018 and constituted 31 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय– आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	5516.00	6400.02	6342.33	-57.69
पु.	R.	884.02			
मुख्य शीर्ष "2408"	Major Head "2408"				
खाद्य, भंडारण और भांडागार	Food, Storage and Warehousing				
मू.	O.	15088448.00			
पू.	S.	350991.00	10622066.44	10621992.78	- 73.66
पु.	R.	-4817372.56			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	1300.00			
पू.	S.	2705.00	..	..	..
पु.	R.	-4005.00			
मुख्य शीर्ष "3456"	Major Head "3456"				
सिविल आपूर्ति	Civil Supplies				
पू.	S.	215.00	371.70	367.51	-4.19
पु.	R.	156.70			

(I) ₹4005.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत दो मामलों के तहत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:–

(I) Provision of ₹4005.00 lakhs remained wholly unutilized in two cases under Major Head "2552" - under the following heads:-

(का) "भंडारण और भांडागार – अन्य व्यय – राज्य सरकारों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में खाद्य भंडारण गोदामों का निर्माण" – ₹3565.00 लाख (₹2265.00 लाख के पूरक अनुदान

(A) "Storage and Warehousing - Other Expenditure - Construction of Food Storage godowns in NE Region by State Governments" - ₹3565.00

सहित) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा और शेष राशि अभ्यर्पित की गई।

(खा) "सिविल आपूर्ति – अन्य अनुदान – सार्वजनिक वितरण प्रणाली के परिचालन का सुदृढीकरण" – ₹440.00 लाख का पूरक प्रावधान – पूर्वोत्तर राज्यों से प्रस्तावों/पूर्ण प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण।

(II) मुख्य शीर्ष "2408" – "खाद्य – खाद्य सब्सिडी – भारतीय खाद्य निगम और अन्य को खाद्यान्नों के लेनदेन के लिए देय सब्सिडी" के अंतर्गत ₹10713860.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹335627.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹11049487.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹4851318.25 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) खाद्य सब्सिडी में कटौती किए जाने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2408" – "खाद्य – निदेशन और प्रशासन – खाद्य आपूर्ति प्रणाली के परिचालन का सुदृढ़ीकरण" – पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹2017.00 लाख की निधि उपलब्ध कराई गई थी जो, तथापि, प्रस्तावों को अंतिम रूप दिए जाने में प्रक्रियात्मक विलंब के कारण ₹300.00 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रही।

(IV) मुख्य शीर्ष "2408" – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं;–

(का) "खाद्य"

(क) "निदेशन और प्रशासन – अन्य कार्यालय"– ₹339.18 लाख की बचत (₹2600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मॉनीटरिंग एजेंसियों के कमीशन के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

lakhs (including supplementary grant of ₹2265.00 lakhs) was due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(B) "Civil Supplies - Other Grants - Strengthening of PDS Operation"- supplementary provision of ₹440.00 lakhs - due to non-receipt of proposals/complete proposals from North Eastern States.

(II) Under Major Head "2408" - "Food - Food Subsidies - Subsidy payable to Food Corporation of India and others on food grains transactions" - the original provision of ₹10713860.00 lakhs was augmented to ₹11049487.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹335627.00 lakhs. However, there was a saving of ₹4851318.25 lakhs (including supplementary grant) - due to reduction in food subsidy and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) Under Major Head "2408" - "Food - Direction and Administration - Strengthening of PDS Operation" - funds of ₹2017.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilized to the extent of ₹300.00 lakhs - due to procedural delay in finalization of proposals.

(IV) Under Major Head "2408" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Food"-

(a) "Direction and Administration - Other Offices" - saving of ₹339.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2600.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards commission of monitoring agencies.

(ख) "अन्य व्यय – चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता दिए जाने हेतु स्कीम, 2014" – ₹9382.39 लाख की बचत (₹47000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ खातों के अनुपयोज्य आस्ति में बदले जाने के कारण ब्याज के लिए नोडल बैंकों से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(b) "Other Expenditure - Scheme for Extending Financial Assistance to Sugar Undertakings, 2014"- saving of ₹9382.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹47000.00 lakhs) was due to receipt of less claims from nodal bank towards interest owing to some accounts turning into Non Performing Asset.

(खा) "भंडारण और भांडागार" –

(B) "Storage and Warehousing"-

(क) "अनुसंधान और मूल्यांकन – गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ" – ₹125.08 लाख की बचत (₹768.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(a) "Research and Evaluation - Quality Control Cell" - saving of ₹125.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹768.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and receipt of less claims towards medical reimbursement.

(ख) "भांडागार विकास और विनियामक प्राधिकरण को सहायता – भांडागार विकास और विनियामक प्राधिकरण" – ₹919.05 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सिस्टम इंटीग्रेटर लगाए जाने में विलंब होने और रूपांतर योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की धीमी गति होने के कारण हुई।

(b) "Assistance to Warehousing Development and Regulatory Authority - Warehousing Development and Regulatory Authority"- saving of ₹919.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to delay in engagement of system integrator and slow progress of projects under transformation plan.

(V) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹137.05 लाख की बचतें हुईं जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत तथा 15 प्रतिशत थीं।

(V) Under two heads savings of ₹137.05 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs and constituting 11 percent and 15 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹41752.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष "2408" – "खाद्य" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹348045.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

2. (I) The above savings were partly (₹41752.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹348045.00 lakhs under Major Head "2408" - "Food" - under the following heads:-

(का) "खाद्य सब्सिडी – चीनी उदग्रहण, चीनी आयात आदि के कारण भारतीय खाद्य निगम को देय चीनी सब्सिडी"– ₹10000.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹9999.00 लाख था।

(A) "Food Subsidies - Sugar subsidy payable to FCI and others on account of levy sugar, import of sugar etc." - ₹10000.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹9999.00 lakhs.

(खा) "आरक्षित निधि तथा जमा लेखों को/से अंतरण – चीनी विकास निधि को अंतरण"– ₹31752.00 लाख।

(B) "Transfer to/from Reserve Funds and Deposit Accounts - Transfer to Sugar Development Fund" - ₹31752.00 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:–

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग" – ₹819.93 लाख का अधिक व्यय (₹5469.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परामर्शदाता/संविदागत कर्मचारियों को भाड़े पर लेने, कृषि भवन में निगरानी प्रणाली लगाने तथा किराए के शेष के समाशोधन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(A) Major Head "3451" - "Secretariat - Department of Food and Public Distribution" - excess of ₹819.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5469.50 lakhs) was due to requirement of additional funds towards hiring of consultants/contractual staff, installation of surveillance system at Krishi Bhawan and clearance of arrears of rent.

(खा) मुख्य शीर्ष "2408" –

(क) "खाद्य – खाद्य सब्सिडी – चीनी मिलों को सुलभ ऋण दिए जाने के लिए स्कीमों पर ब्याज सहायता, 2015" – ₹505.49 लाख का अधिक व्यय (₹636.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना के अंतर्गत ब्याज सहायता के लंबित दावों के समाशोधन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(ख) "भण्डारण और भांडागृह – अन्य व्यय – राज्य सरकारों द्वार पूर्वोत्तर क्षेत्रों में खाद्य भण्डारण गोदामों का निर्माण" – ₹2932.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोजन मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(B) Major Head "2408"-

(a) "Food - Food Subsidies - Interest subvention on schemes for extending soft loan to sugar mills, 2015" - excess of ₹505.49 lakhs (against the supplementary provision of ₹636.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards clearance of pending claims of interest subvention under the scheme.

(b) "Storage and Warehousing - Other Expenditure - Construction of Food Storage godowns in NE Region by State Governments" - excess of ₹2932.00 lakhs (against nil provision) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(गा) मुख्य शीर्ष "3456" – "अन्य व्यय – सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण से संबंधित स्कीम" – ₹152.51 लाख का अधिक व्यय (₹215.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा पीआईसीएएस सॉफ्टवेयर तथा अन्य तकनीकी स्कीमों के विकास के लिए

© Major Head "3456" - "Other Expenditure - Scheme relating to strengthening of Public Distribution System" - excess of ₹152.51 lakhs (against the supplementary provision of ₹215.00 lakhs) was due to hiring of more consultants and

अधिक परामर्शदाताओं और तकनीशियनों को भाड़े पर लिए जाने के कारण हुआ।

technicians by National Informatics Centre for development of PICAS software and other technical schemes.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:–

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4408" खाद्य भंडारण और भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4408" Capital Outlay on Food Storage and Warehousing				
मू.	O.	105.00			
पू.	S.	1.00	2465.00	2456.27	-8.73
पु.	R.	2359.00			
मुख्य शीर्ष "4552" पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	4700.00	..	..	..
पु.	R.	-4700.00			
मुख्य शीर्ष "6860" उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head "6860" Loans for Consumer Industries				
मू.	O.	47500.00	47502.00	47500.00	-2.00
पू.	S.	2.00			

(I) ₹4700.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष "4552" – "भंडारण और भांडागार – सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश – भारतीय खाद्य निगम"– के अंतर्गत एक

(I) Provision of ₹4700.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "4552" - "Storage and Warehousing - Investments in

मामले में पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण पूर्ण रूप से अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "6860" – "चीनी – सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "चीनी मिलों का पुनर्वास/आधुनिकीकरण"– ₹3700.00 लाख की बचत (₹15000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जनवरी, 2018 तक 5000 टीसीडी के विस्तार तक प्रतिबंध होने के कारण कम आवेदन प्राप्त होने की वजह से हुई।

(खा) "गन्ना विकास के लिए चीनी मिलें"– ₹1300.00 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गैर–प्राथमिकता स्कीम होने के कारण कम आवेदन प्राप्त होने की वजह से हुई।

(गा) "एल्कोहल से इथेनॉल अथवा एनहाइड्रस एल्कोहल के उत्पादन के लिए चीनी फैक्ट्रियां" – ₹1300.00 लाख की बचत (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चीनी मिलों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

4. (I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹6300.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "6860" – "चीनी – सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज – बगास आधारित सह–उत्पादन बिजली परियोजना के लिए चीनी फैक्ट्रियां" के अंतर्गत दिसंबर, 2017 तथा मार्च, 2018 में ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹6298.00 लाख था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "4408" – "भंडारण तथा भांडागार – सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश – भारतीय खाद्य निगम" – के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं – ₹2350.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से

Public Sector and Other Undertakings - Food Corporation of India" - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "6860" - "Sugar - Loans to Public Sector and Other Undertakings" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Rehabilitation/Modernisation of Sugar Mills" - saving of ₹3700.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15000.00 lakhs) was due to receipt of less applications owing to moratorium on expansion upto 5000 TCD till January, 2018.

(B) "Sugar Mills for Cane Development" - saving of ₹1300.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was due to receipt of less applications, being a non-priority scheme.

(C) "Sugar factories for production of anhydrous alcohol or ethanol from alcohol" - saving of ₹1300.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from Sugar Mills.

4. (I) The above savings were partly (₹6300.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs in December, 2017 and March, 2018 under Major Head "6860" - "Sugar - Loans to Public Sector and Other Undertakings - Sugar Factories for bagasse based cogeneration power project". Actual excess, however, was ₹6298.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "4408" - "Storage and Warehousing - Investments in Public Sector and Other Undertakings - Food Corporation of India" - excess of ₹2350.00 lakhs (against nil provision) was due to re-

संबंधित स्कीमों के उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "4552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

5. चीनी विकास निधिः—

चीनी विकास निधि, 1982 (संक्षिप्त रूप में एसडीएफ अधिनियम) की स्थापना चीनी कारखानों के पुनर्वास और आधुनिकीकरण के साथ—साथ गन्ना विकास को परिलक्षित करते हुए अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए रियायती दरों पर कर्जों के माध्यम से वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से की गई थी। इस निधि का उपयोग चीनी की कीमत में स्थायित्व रखने के लिए बफर स्टाक को बनाने और उसके रख—रखाव के उद्देश्य पर होने वाले व्यय को चुकाने के लिए भी किया जाएगा।

चीनी उपकर नियम, 1982 (जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था) में चीनी कारखानों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली लेखाकरण रिपोर्टों और विवरणियों के तरीके, लेखों का रख—रखाव आदि का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत उगाही गई और वसूली गई उत्पाद शुल्क की आय के बराबर राशि में से केंद्रीय सरकार द्वारा यथानिर्धारित वसूली लागत घटाकर चीनी विकास अधिनियम, 1982 की धारा 3 के अधीन बनाई गई चीनी विकास निधि में जमा की जाएगी।

वर्ष 2017—2018 के लिए इस निधि का लेखा इस प्रकार था—

5. Sugar Development Fund:-

Sugar Development Fund, 1982 (briefly the SDF Act) was created for the purpose of rendering financial assistance through loans at concessional rates for rehabilitation and modernisation of sugar factories as well as for sugarcane development and for encouraging research aimed at development of sugar industry by making grant. The fund shall also be applied for defraying expenditure for the purpose of building up and maintenance of buffer stock of sugar with a view to establishing price of sugar.

The Sugar Cess Rules, 1982 (which were made under the Act) provide for the manner of accounting reports and returns to be furnished by sugar factories, maintenance of accounts etc. An amount equivalent to the proceeds of the duty of excise levied and collected under the Act, reduced by the Cost of collection as determined by the Central Governments, shall be credited to the Sugar Development Fund formed under section 3 of the Sugar Development Act, 1982.

The Account of the Fund for 2017-2018 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	618,68,82
प्राप्तियां	Receipt	-618,68,82
अदायगियां	Payments	..
अंतशेष	Closing Balance	..